रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 94] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 25, 1986/चैत्र 4, 1908
No. 94] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 25, 1986/CHAITRA 4, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1986

अधिसूचना

का. आ. 113(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग और कंपनी कार्य

मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 201(अ) तारीख 18 मार्च, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1 ढलवां लोह अर्थात् विशेष मिश्रातु ढलवां लोह, आघातवर्धनीय ढलवां लोह और एस. जी. ढलवां लोह, स्पंज लोह और गुटिकायन ।"

[फा. सं. 8/2/85-एल. पी.]
बी. सहाय, संयुक्त सचिव

टिप्पण:

अधिसूचना सं. का. आ. 201(अ) तारीख 18-3-85 को निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा संशोधन किया गया है :

(1) अधिसूचना सं. का. आ. 459(अ) तारीख 12-6-85

(2) अधिसूचना सं. का. आ. 103(अ) तारीख 20-3-86

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 25th March, 1986

NOTIFICATION

S.O. 113(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29-B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Industry and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S.O. 201(E), dated the 18th March 1985, namely :—

In the Schedule to the said notification,—for Serial Number 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"1. Iron castings i.e. special alloy iron castings, malleable iron castings and SG iron castings, sponge iron and pelletisation."

[File No. 8|2|85-LP]
B. SAHAY, Jt. Secy.

NOTE :

Notification No. S.O. 201(E) dt. 18-3-85 has been subsequently amended by :

(1) Notification No. S.O. 459(E), dt. 12-6-85.

(2) Notification No. S.O. 103(E), dt. 20-3-86.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986